जिला–पटना
न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, बाढ़
उपस्थिति – श्री राजकुमार चौधरी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, बाढ़
बाढ़, 11 वीं मार्च 2026 ई0
सत्रवाद संख्या 380 / 2009

समुन्द्री देवी (सूचिका) ——————————————————————————अभियोजन
बनाम्

1. विनोद साव पिता :– स्व0 नगीना साव उम्र लगभग 51 वर्ष
साकिन :– राघोपुर, थानाः– बख्तियारपुर, जिला :– पटना
2. सतीश साव पिता :– स्व0 लुटन साव उम्र लगभग 46 वर्ष
निवासी ग्राम– औंटा, थाना–हाथीदह, जिला–पटना————————————————अभियुक्तगण।
आरोप अंतर्गत धारा :– 341, 323, 379, 307 भा0द0वि0

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री राजीव कुमार
श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक – श्री रामबालक प्रसाद

::::::::निर्णय::::::::::

1. अभियुक्तगण विनोद साव तथा सतीश साव के विरूद्ध धारा 341, 323, 379, 307 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठित कर आरोप का सारांश सुनाया गया, जिसे वे सुनकर घटना से इंकार किये और विचारण का दावा किये।

2. अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद की सूचिका समुन्द्री देवी हैं। जो अपना फर्दबयान बाढ़ थाना के पुलिस पदाधिकारी को दी है, जिसमें सूचिका का कथन है कि सूचिका अपने मुकदमा की देख–रेख करने हेतु अपनी मॉ मो0 भीखनी देवी तथा भौजाई शैला देवी के साथ बाढ़ कचहरी आयी थी, जिसमें इनका बेटा नीरज कुमार के द्वारा दिनांक 03.08.2008 को मारपीट के संबंध में नीरज साह बगैरह के खिलाफ केस किया था, जो हाथीदह थाना कांड संख्या 36 / 2008 दिनांक 03.08.2008 है। इस बात की जानकारी होने के उपरांत विनोद साव तथा सतीश साव इनका पीछा करते हुये बाढ़ कचहरी आ गया और इन्हें मुकदमा में सुलह करने के लिये बाध्य करने लगा। इसका विरोध करने पर इन्हें कचहरी कैम्पस में बाल पकड़कर खींचकर किनारे ले जाकर मारपीट कर गला दबाकर इनकी हत्या करना चाहा। मुकदमा में सुलह नहीं करने के कारण यह घटना किया

गया। सूचिका के चिल्लाने तथा बचाओ–बचाओं के हल्ला करने पर कचहरी के काफी लोग जमा हो गये तब इनकी जान बची। सूचिका के साथ मारपीट कर इनका 250 रूपया छीन लिया।

3. सूचिका के फर्दबयान के आधार पर बाढ़ थाना काण्ड संख्या– 199/2008, दिनांक 06.08.2008 को धारा 341, 323, 379, 307 भा0द0वि0 के अंतर्गत कुल 02 नामित अभियुक्तगण विनोद साव तथा सतीश साव के विरूद्ध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान के बाद अनुसंधान पूर्ण करते हुये आरोप पत्र संख्या 293/2008 दिनांक 31.08.2008 उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धारा में घटना को सत्य पाकर समर्पित किया गया तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम बाढ़ के द्वारा इसी धारा में अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया तथा कुल 02 अभियुक्तगण विनोद साव एवं सतीश साव के वाद को दौरासुपुर्द किया गया।

4. अभियुक्तगण के वाद को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम बाढ़ के द्वारा दौरा सुपुर्द कर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के यहां भेजा गया तथा श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के द्वारा इस वाद को विचारण हेतु इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2009 को भेजा गया है, जिसका विचारण किया गया।

5. अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल 03 साक्षी जिसमें साक्षी संख्या 1. भिखनी देवी, साक्षी संख्या 02 शैला देवी तथा साक्षी संख्या 03 समुन्द्री देवी को प्रस्तुत किया गया है।

6. अभियुक्तगण का धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान लिया गया है, जिसमें वे घटना से इंकार किये और अपने को निर्दोष बतलाये तथा कहे कि ये निर्दोष हैं। बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी संख्या 01 रामाश्रय प्रसाद को प्रस्तुत किया गया।_

7. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह के परे सिद्ध करने में सफल हुए हैं अथवा नहीं?

मंतव्य

8. अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल 03 साक्षी जिसमें साक्षी संख्या 1. भिखनी देवी, साक्षी संख्या 02 शैला देवी तथा साक्षी संख्या 03 समुन्द्री देवी को प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श अंकित करवाया गया हैः–

प्रदर्श 1 :– औपचारिक प्राथमिकी

प्रदर्श 2 :– आरोप पत्र

9. बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी संख्या 01 रामाश्रय प्रसाद को प्रस्तुत किया गया है परन्तु उनके ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षियों में साक्षी संख्या–3. सूचिका समुन्द्री देवी है, जिनके फर्दबयान के आधार पर यह मुकदमा कायम हुआ है, जो अपने परीक्षण में कही है कि घटना करीब साढ़े चार साल पहले समय करीब साढ़े चार बजे की है। उस समय बाढ़ कचहरी

के सड़क पर थी, उसी समय सतीश साव तथा विनोद साह आये तथा इन्हें केश में कम्प्रोमाईज हेतु बोले, जिसपर इनके द्वारा बोला कि केश में कम्प्रोमाईज नहीं करूंगी। सूचिका घटना के दिन नकल लेने के लिये आयी थी, उस मुकदमा में सतीश साव को सजा हो गयी थी। सतीश साह एवं विनोद साह इनका बाल पकड़कर खींच दिया तथा सतीश साह इनका गला दबाने लगा तथा कहा कि जान से मार देंगें, जबकि प्राथमिकी दोनों अभियुक्तों के द्वारा गला दबाने की बात कहीं गयी हैं। सतीश साह इनका 250 रूपया ले लिया। जबकि प्राथमिकी में रूपया लेने के बारे में किसी के नाम के बारे में नहीं बतलायी हैं। इनके साथ इनकी सास शैला देवी एवं भिखनी देवी थी। लोगों के द्वारा हल्ला करने पर पुलिस आयी तथा दोनों पक्षों को लेकर बाढ़ थाना चली गयी। बाढ़ थाना में दारोगा जी इनका बयान लिये और बयान लेने के बाद सूचिका बयान सुनने के बाद अपना अंगूठा का निशान लगा दी। सूचिका के अलावे उस बयान पर शैला देवी एवं भिखनी देवी भी बयान पर अंगूठा का निशान लगा दी। ये साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहीं है कि मारपीट रजिस्ट्री ऑफिस के सामने तरफ सड़क पर हुआ था। साक्षी ने घटना स्थल की चौहद्दी बतायी है। इनका ईलाज बाढ़ अस्पताल में शाम में हुआ था। ईलाज का निश्चित समय नहीं बतायी है। ईलाज के बाद साक्षी अपने घर गयी थी। साक्षी यह नहीं बतायी कि इनके साथ कितना देर मारपीट हुआ। इनके गला पर कितना जगह निशान पड़ा यह भी नहीं बता सकती है। इनके माथा में कोई चोट नहीं लगा था सिर्फ इनके बाल को खींचा गया था। मारपीट की घटना को शैला देवी तथा भिखनी देवी देखी थी तथा अन्य को इनके के बारे में नहीं बतायी थी। घटना के बारे में इनके द्वारा अपने पति को नहीं बतलाया गया क्योंकि इनके पति 2–3 साल से घर पर नहीं रहते है। साक्षी इस बात से इंकार की है कि इनके पति एक अपराधी है तथा पुलिस के डर से भागा हुआ है तथा इनके पति के द्वारा अभियुक्त पर कोई केश नहीं किया है। साक्षी इस बात से भी इंकार की है कि जैसा इन्होंने बयान दिया वैसी कोई घटना नहीं घटी तथा न ही इन्हें कोई चोट लगी और झुठा केश किया है। साक्षी ने अभियुक्त विनोद सिंह की ओर से लिये गये प्रतिपरीक्षण में कहीं है कि विनोद साह इनके पति का बहनोई है तथा लुटन साह इनके ससुर थे, जिनके चार लड़के मुन्द्रिका साह (वादिनी के पति), सतीश साह, वीरेन्द्र साह एवं रघुनाथ साह है। इनका भाई मुकदमा के बाद लूटन साह से मकान वाला जमीन लिखवाकर खरीद किया था। उस जमीन में इनके द्वारा इनके पति के भाईयों को रहने नहीं देती है। जिस दिन नकल लेने आयी थी, उसमें सतीश को सजा कितने दिन पहले हुआ था इन्हें याद नहीं है। इस घटना में इनके पति एवं बेटा गवाह नहीं है। पहले वाले केश में लूटन साह एवं उनके तीनों लड़को पर केस हाथीदह थाना में किया गया था। इनके भौजाई का नाम शैला देवी तथा इनके मॉ का नाम भिखनी देवी है, जो इस मामले के गवाह है। साक्षी इस बात को स्वीकार की है कि इन्हें विनोद ने कहा था कि केस में कम्प्रोमाईज करों तथा इनके नहीं करने पर दोनों इनके सिर का बाल पकड़कर खींच दिये। इनके द्वारा सतीश साह पर कुल चार केश किया गया है। इस तरह अभियोजन साक्षी ने प्राथमिकी के अनुसार घटना का पूर्ण समर्थन नहीं किया है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या–2 शैला देवी है, जो सूचिका की भौजाई है, इन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना ढ़ाई वर्ष पहले 4 बजे दिन की है। उस समय कोर्ट परिसर में थी। समुन्द्री देवी नकल लेने आयी थी तथा ये भी समुन्द्री देवी के साथ में थी। सतीश एवं विनोद आ रहे थे, वे लोग समुन्द्री देवी का गला दबाने लगे तथा कहने लगे कि कोर्ट आयी तो जान से मार देंगे। साक्षी के हल्ला पर पुलिस की गाड़ी आ गयी तथा विनोद एवं सतीश को पकड़ ली, क्योंकि कोर्ट में झगड़ा किया था। पुलिस दोनों अभियुक्तों को थाना ले गयी। साक्षी भी थाना गयी थी। ये साक्षी प्रतिपरीक्षण में कही है कि अभियुक्त विनोद साह, समुन्द्री देवी का ननदोशी है। केस होने के दिन ही समुन्द्री देवी इन्हें बाढ़ आने के लिये कहीं थी। समुन्द्री देवी का घर औंटा में है। समुन्द्री देवी अपने पुत्र राकेश को घटना के एक दिन पहले इनके घर करीब डेढ़ बजे दिन में भेजी थी कि कल बाढ़ चलना है। समुन्द्री देवी भिखनी देवी को बाढ़ चलने के लिये कहलवायी थी। घटना के समय भिखनी देवी का तबीयत खराब था, भिखनी देवी बुढ़ी एवं मोटी शरीर वाली औरत है, उसे डॉक्टर से ईलाज करवाया गया था। साक्षी को समुन्द्री देवी पहले पहल बाढ़ रेलवे स्टेशन पर बैठी मिली थी। तीनों औरत बाढ़ स्टेशन पर 10 बजे दिन में मिली थी। अभियुक्तों से इनकी मुलाकात घटना के समय ही हुआ था। इससे पहले अभियुक्तों से कोई परिचित नहीं थी। समुन्द्री देवी नकल का कागज ली थी। उस कागज को साक्षी नहीं देखी थी। समुन्द्री देवी के शरीर पर खरोच लगा चोट था। विनोद साह के मारने से समुन्द्री देवी का दांत टुट गया था। टुटा हुआ दांत नहीं देखी कि वह कहां गिरा था। ये साक्षी प्राथमिकी एवं सूचिका के बयान से बिल्कुल अलग बयान दी है, जबकि दांत तोड़ने की बात न तो प्राथमिकी में है और न ही सूचिका अपने बयान में कही है। साक्षी को मालूम नहीं है कि दुर्गेश देवी एवं समुन्द्री देवी के बीच किस बात का झगड़ा था। दुर्गेश देवी, समुन्द्री देवी एवं उसके पति के विरूद्ध केश की थी। साक्षी इस बात से इंकार की है कि जैसा बयान दी, वैसी कोई घटना नहीं घटी तथा विनोद साह पर दबाव देने के लिये झुठे केस में झुठी गवाही दी है। इस तरह यह साक्षी प्राथमिकी एवं सूचिका के बयान से अलग बयान दी है, जो अभियोजन के कथन को समर्थन नहीं मिलता है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या–1 भिखनी देवी है, ये अपने बयान में कही है कि घटना ढ़ाई वर्ष के कुछ पहले समय करीब 4 बजे शाम का है। घटना के दिन साक्षी न्यायालय में एक फैसले का नकल ले रही थी, जिसमें दुर्गेश देवी, सतीश साव, लूटन साव, वीरेन्द्र साव को सजा हुई थी। वह केश समुन्द्री देवी की थी। साक्षी के साथ शैला देवी एवं समुन्द्री देवी भी थी। सतीश साव और विनोद साव ने समुन्द्री देवी का झोंटा पकड़ कर घसीट कर गला दबाकर कहा कि केस उठा लो नहीं तो मार देंगे, इतने में ही पुलिस की गाड़ी आयी और दोनों को पकड़ कर ले गयी। साक्षी प्रतिपरीक्षण में कही है कि इस केश की मुदई इनकी पुत्री है। इस केश में साक्षी, इनकी लड़की एवं पुतोहु गवाह है। अभियुक्त सतीश साव इनकी पुत्री का देवर है तथा विनोद साह ननदोशी है। इनके दामाद के पिता का नाम लूटन साव है, जिनके चार पुत्र मुन्ना उर्फ मुन्द्रिका, सतीश, वीरेन्द्र एवं रघु साह है तथा लूटन साव की एक पुत्री दुर्गेश देवी है। सतीश साव एवं मुन्द्रिका साव एक ही घर में

रहते है, उक्त मकान को इनकी पुत्री समुन्द्री देवी के पक्ष में बिक्री कर दी गयी। इस केश के पहले भी समुन्द्री देवी लूटन साह, सतीश साह, दुर्गेश देवी, रघुवीर साह, वीरेन्द्र साह पर केस की थी क्योंकि मुन्द्रिका साह को लूटन साव एवं सतीश साव हिस्सा मकान में नहीं दे रहे थे और इसी कारण मारपीट हुआ। मारपीट के केश में पहले भी साक्षी गवाह बनी थी और गवाही दी थी। दुर्गेश देवी की शादी विनोद साव से लूटन साव के मरने के पहले हुआ था, अभी दोनों बख्तियारपुर में रहते है। साक्षी को जानकारी नहीं है कि इनके पुत्र नीरज कुमार ने विनोद साह एवं सतीश साह पर केश किया था या नहीं। औंटा गांव का कोई आदमी इनकी बेटी के पक्ष में गवाही दिया या नहीं, इन्हें जानकारी नहीं है। साक्षी घटना के दिन बड़हिया से, समुन्द्री देवी औंटा से तथा शैला देवी बड़हिया से आयी थी और तीनों पाटलीपुत्रा ट्रेन से बाढ़ आयी थी। इन्होंने सरकारी वकील से मुलाकात कर नकल ली थी। इनकी पुत्री का गला पकड़कर अभियुक्त गिरा दिया था और जब साक्षी बचाने गयी तो इन्हें ठेल कर गिरा दिया। इन्हें चोट नहीं लगा था। यह साक्ष्य प्राथमिकी से बिल्कुल अलग साक्ष्य है। इनकी पुत्री को खुन बहता जख्म नहीं हुआ था। घटना स्थल पर पुलिस आयी थी और अभियुक्तों को पकड़कर ले गयी। साक्षी इस बात से इंकार की है कि इनकी बेटी तथा बहु ने सतीश को उसके घर से निकालने के लिये झुठा केश किया है तथा इन्होंने झुठी गवाही दिया है तथा इस कथन से इंकार की है कि विनोद साह, सतीश साह के पहले केस में जमानतदार बने थे, इस कारण उसे झुठे केश में अभियुक्त बना दिया।

13. बचाव साक्षी संख्या 01 रामाश्रय प्रसाद है, इन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि सूचिका समुन्द्री देवी इनके साला विनोद साव की सरहज है। लूटन साव को ये जानते हूँ। लूटन साव औंटा घाट के निवासी है। लूटन साव समुन्द्री देवी के ससुर लगते थे। लूटन साव के चार लड़का 1. मुन्द्रिका साव, 2. विरेन्द्र साव 3. रघु साव 4. सतीश साव है। लूटन एवं उसका सभी परिवार एक ही मकान में रहते थे। उक्त मकान लूटन साव का मौरूसी था। उस मकान को लूटन साव से समुन्द्री देवी गलत संबंध बनाकर अपने नाम पर खरीद ली। समुन्द्री देवी अपने नाम पर मकान लिखवाने के बाद सभी देवर, भैसुर, बेटा इत्यादि पर झुठा केश करके घर से भगा दिया और उस मकान पर समुन्द्री देवी कब्जा कर ली और उस मकान में समुन्द्री देवी, उसका पति एवं उसका बेटा रहने लगे। लूटन साव की मृत्यु घर में ही बिमारी से हुई थी। लूटन साव के साथ भी समुन्द्री देवी गलत व्यवहार करती थी। समुन्द्री देवी मुदालय लोग पर 3–4 केश दबाव डालने के लिये किया ताकि वे लोग घर छोड़कर भाग जाये। समुन्द्री देवी अभियुक्तगण पर बाढ़, लक्खीसराय, बेगूसराय में कई केश की थी। साक्षी लूटन साव के घर पर बहुत बार गये है। लूटन साव एवं इनके बीच दोस्ती प्रेम था और उसके घर पूजा पाठ, इत्यादि कार्यक्रम में जाते आते थे। वे लोग को समझाने बुझाने के लिये भी जाते थे लेकिन वे नहीं मानती थी। विनोद साव समुन्द्री देवी को समझाने जाते थे और जमानतदार बनने के कारण समुन्द्री देवी के द्वारा झुठा फंसाया गया है। विनोद साव का घर बख्तियारपुर राघोपुर में है। साक्षी लूटन साव की बेटी का नाम भूल गये है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि इनका घर मेकरा डीह मोकामा थाना में है। इनकी बच्ची की शादी उसके घर के आस पास हुआ है, उसी के कारण उनका वहां पर आना–जाना होता है। साक्षी वहां पर महीना में एक–दो बार जाते थे और कभी कदाल तीन महीना पर भी जाते थे। जाने आने का तिथि इन्हें याद नहीं है। समुन्दी देवी के पति का नाम मुन्द्रिका साव है। समुन्द्री देवी इन्हें स्वंय दिखायी थी कि वह लूटन साव से जमीन अपने नाम लिखवा

ली है। समुन्द्री देवी मुझे कागज दिखलायी थी। वह रजिस्टरी कब की थी, इन्हें याद नहीं है। इन्हें कोई नहीं बताया था कि उसका गलत संबंध था। इनका वहां पर आना जाना था और उसके चरित्र और व्यवहार से इन्हें जानकारी हुआ कि उसका गलत संबंध लूटन साव के साथ था। लूटन साव के घर से इनके सगे संबंधी का घर करीब 5–6 किलोमीटर दूर है। साक्षी एवं लूटन साव के बीच कोई रिश्ता नहीं है।

14. इस तरह उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचना के बाद मैं पाता हूँ कि इस वाद में सूचिका समुन्द्री देवी का कथन है कि घटना तिथि को जब ये अपनी मॉ मो0 भिखनी देवी और भौजाई शैला देवी के साथ बाढ़ कचहरी आयी थी क्योंकि इनके बेटा ने निरज बगैरह के खिलाफ हाथीदह थाना कांड संख्या 36/08 दिनांक 03.08.08 को किया था। इस बात की जानकारी होने पर अभियुक्तगण केस को सुलह करने के लिए दबाब देने लगे, तब सूचिका इंकार कर दी। इस पर अभियुक्त बाल खींचकर, गला दबाकर हत्या करना चाहते थे। इस कथन के समर्थन में अभियोजन की ओर से 03 साक्षी को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सूचिका समुन्द्री देवी, मो0 भिखनी देवी एवं शैला देवी को प्रस्तुत किया गया है, जबकि आरोप पत्र में नामित बिनोद साव को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस वाद में जो भी साक्षी आये हैं वे सभी हितबद्ध साक्षी हैं, जिसमें मो0 भिखनी देवी वादिनी की मॉ हैं तथा शैला देवी वादिनी की भाभी हैं। किसी भी स्वतंत्र साक्षी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय वरीय न्यायालय का मत है कि जिसने हितबद्ध साक्षी को न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है वहॉ इस साक्षियों के साक्ष्य को सावधानी पूर्वक देखा जाना चाहिए अन्यथा किसी निर्दोष को सजा मिल सकती है। माननीय वरीय न्यायालय का यह भी मत है कि चाहे कोई दोषी छूट जाय लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहां जो भी साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं वे सभी हितबद्ध साक्षी हैं और इन साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि फर्दबयान में कथन है कि ये अपने बेटा के केस में पैरवी के लिए आयी थी, परन्तु इनके साथ आये साक्षियों ने कहा है कि ये लोग उस केस का नकल लेने आये थे, जिसमें सतीश साव वगैरह को सजा मिली थी। मारपीट के सम्बंध में केवल इतना कहा गया है कि इन्हें बाल पकड़कर खींच दिया और गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। क्योंकि इन्होंने केस में सुलह करने से इंकार कर दिया था। मारपीट के सम्बंध में कोई जख्म पत्र अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, उसमें साक्षी संख्या–2 शैला देवी अपने साक्ष्य में कही हैं कि मारपीट से समुन्द्री देवी का दांत टुट गया था और वह दांत कहां गिरा यह नहीं देख सकी, जबकि दांत टुटने का कथन न तो फर्दबयान में है, न ही साक्षी संख्या–1 और 3 ने अपने साक्ष्य में ऐसा कहा है। साक्षी संख्या–2 ने यह भी कहा है कि समुद्री देवी के शरीर पर खरोंच लगा चोंट था, लेकिन ऐसा प्राथमिकी में नहीं कहा गया है और न ही ऐसा किसी ने ऐसा साक्ष्य दिया है। यहां तक की ढाई सौ रुपया लेने का कथन फर्द बयान में कहा गया है, लेकिन किसने रुपया लिया यह नहीं बताया गया है। जबकि सूचिका ने अपने साक्ष्य में सतीश साव द्वारा ढाई सौ रुपया लेने का कथन किया है। लेकिन अन्य दो साक्षी ने पैसा लेने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट हुआ है कि समुद्री देवी ने मुदालय पर कुल–4 मुकदमा किया है। साथ हीं साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि समुन्द्री देवी ने अपने ससुर लूटन साव से आवास वाली जमीन को लिखवा लिया है और उस घर में लुटन साव के चार लड़के वादिनी समुन्द्री देवी के पति मुन्द्रिका साव इसके अलावा विरेन्द्र साव, रघु साव एवं सतीश साव रहते थे और वह मकान लुटन साव का मौरुसी था, लेकिन उस मकान को लुटन साव से समुन्द्री देवी ने सभी का हिस्सा हड़पते हुए अपने नाम से जमीन और मकान लिखवा ली और उसके बाद देवर, भैंसुर आदि पर

केस कर दिया, ताकि दबाव दिया जा सके। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक साक्षी प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि लूटन साव समुद्री देवी के ससुर थे और उसने गलत रुप से जमीन और मकान अपने नाम से लिखवा लिया और उस मकान में रहने वाले अन्य लोगों देवर, भैंसुर आदि को घर से निकाल दिया और दबाव देने हेतु झूठा केस कर दिया। इस तरह उस मकान को समुद्री देवी कब्जा कर ली और उस मकान में उसके पति और उसके बच्चे रहने लगा।

इस तरह उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अभियोजन ने जो आरोप अभियुक्तों पर लगाया है उसे अभियोजन सत्य से परे साबित नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि वादिनी ने कुल–4 मुकदमा अभियुक्तों पर किया है। इस कांड का घटनास्थल कचहरी बताया गया है, जहां सैकड़ों की भीड़ होती है, लेकिन यहा के किसी भी साक्षी को अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां तक की ईलाज करने वाले डॉक्टर को भी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अनुसंधान करने वाले अनुसंधानकर्ता को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस तरह अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को संदेह के परे साबित करने में असफल रहे हैं, जिसके कारण अभियुक्तगण को संदेह का लाभ मिल गया है तथा वे निर्दोष साबित होते हैं।

:::::: **आदेश**::::::

15. तदनुसार इस वाद के अभियुक्तगण विनोद साव एवं सतीश साव को धारा 341, 323, 379, 307 भा0द0वि0 के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त करता हूँ तथा उनके सभी जमानतदारों को बंधपत्र के समस्त दायित्वों से उन्मुक्त करता हूँ। निर्णय पत्र कुल 7 पृष्ठ में टंकित है, जिसे अभिलेखबद्ध किया गया।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
बाढ़

16. यह निर्णय खुले न्यायालय में उद्घोषित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
बाढ़